कार्यालय
कार्यपालक अभियंता
शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर
पश्चिम चम्पारण–845107

(hwdval2017@gmail.com)

पत्रांक– 423 /वाल्मीकिनगर   दिनांक 06/03/2026

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या–(NIQ)-05/2025-26

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर अन्तर्गत कराये जानेवाले कटाव निरोधक कार्यो /बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो अन्य सरकारी कार्यो के कार्यान्वयन एवं निरीक्षण हेतु कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के लिए एकअदद् बोलेरो/समकक्ष वाहनअगले वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु दिनांक 01.04.26 से 31.03.2027 तक निम्नांकित शर्तोंके अधीन इच्छुक वाहन मालिक/फर्म से अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।:–

1.	कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि	दिनांक 06.03.2026
2.	कोटेशन जमा करने की अवधि	दिनांक 23.03.2026से 28.03.2026 को 10:30 बजे पूर्वाह्न से3.00 बजे अपराहन तक।
3.	कोटेशन जमा करने का स्थान	कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के कार्यालय में।
4.	कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 28.03.2026 को 3:30 बजे अपराह्न में।
5.	विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता	कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल वाल्मीकिनगर (मो0 नं0–7463889679)

तकनीकी निविदा शर्त

(I) वाहन का रजिस्ट्रेशनसर्टिफिकेट, इनश्योरेंस पी०यू०सी०कोटेशन के साथ संलग्न करना होगा।

(II) वाहन मालिक का आधार कार्ड, जी0एस0टी0, पैन कार्ड के कोटेशन के साथ संलग्न करना होगा।

(III) कोटेशनदाताओं को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

क्र0सं0	वाहन का प्रकार	मासिक भाड़ा ईधन रहित चालक एवं सभी करों सहित
1		

भाड़े पर वाहन रखने की शर्ते निम्नवत् है :–

1 वाहन का निबंधन व्यवसायिक होना चाहिए। व्यवसायिक निबंधन वाले वाहन की उपलब्धता नहीं होने पर अव्यवसायिक निबंधन वाले वाहन पर भी विचार किया जा सकता है।

2 वाहन अच्छे हालत में होना चाहिए।

3 वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासान एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा हीं किया जायेगा।

4 वाहन के भुगतान पर नियमानुसार सभी प्रकार के करों अर्थात जी0एस0टी0 आदि का भुगतान वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता को स्वयं करना होगा एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार का कर का भुगतान नहीं किया जायेगा।

5 वाहन का निबंधन पत्र, बीमा, प्रदुषण प्रमाण पत्र अद्यतन रखना होगा। वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।

6 वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।

7 वाहन के उपयोग के विरूद्व किराया मासिक(ईंधन रहित चालक एवं सभी करों सहित) देय होगा।

8 वाहन का (ईंधन रहित, चालक एवं सभी करो सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा।

9 सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवावाहन का आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना कारण बताये,कार्यपालक अभियंता को एकरारनामा समाप्त करने का अधिकार होगा।

10 वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।

11 वाहन का उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्रि समय मे होता है। अतः इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/किराया देय नही होगा।

12 वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरन्त दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाडें का भुगतान दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।

13. एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक 28.03.2026 को 4.30 बजे अपराह्न में वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा। शपथ पत्र एवं वाछिंत कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जाएगा।

14 वाहन मालिक/फर्म वाहन का (ईंधन रहित, चालक एवं सभी करो सहित) प्रतिमाह भाड़े का कोटेशन इस कोटेशन में उल्लेखित प्रपत्र में समर्पित करेंगे।

15 वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक के जबावदेही होगी।

16 अगर सेवा संतोषजनक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में भी सेवा ली जा सकती है।

17 वाहन माह 31 मार्च 2027 तक भाड़े पर रखने के लिए एकरारनामा किया जाएगा तथा एकरारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी निजी कार्य में नहीं किया जाएगा इच्छुक वाहन मालिक/फर्म का उक्त क्रमांक 01 से 17 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपंथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे

18 कोई अन्य जानकारी कार्यालय में सम्पर्क कर अथवा कार्यालय सूचना पटट् के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

विश्वासभाजन

ह0/-
कार्यपालक अभियंता,
शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर।

पत्रांक– 423/वाल्मीकिनगर दिनांक 06/03/2026
प्रतिलिपिः–सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेवसाईट के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु समर्पित।
अनुलग्नकः–कोटेशन

06/03/26
कार्यपालक अभियंता,
शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर।
06/3/26